कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-02.02.2024

विषयः- नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के मुकदमे में वांछित 01 नफ़र बाल अपचारी को थाना चोलापुर पुलिस टीम द्वारा पुलिस अभिरक्षा मे लिया गया।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ़्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के नेतृत्व मे थाना चोलापुर पुलिस टीम द्वारा **"ऑपरेशन चक्रव्यूह"** के तहत मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-0026/2025 धारा 137(2)/65(1)/87 बी0एन0एस0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना चोलापुर कमि0 वाराणसी से संबंधित वांछित 01 नफ़र बाल अपचारी को आज दिनांक-02.02.2025 को समय करीब 12.11 बजे उदयपुर थाना चोलापुर कमि0 वाराणसी से पुलिस अभिरक्षा मे लिया गया। उक्त सम्बन्ध में थाना चोलापुर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक 24.01.2025 को वादी मुकदमा/प्रार्थी ने दिनांक-23/01/2025 को खुद की नाबालिग लड़की उम्र लगभग 14 वर्ष जो घर से बैडमिंटन खेलने निकली उसके बाद से घर वापस नहीं आने के सम्बन्ध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर थाना चोलापुर में मु0अ0सं0-0026/2025 धारा 137(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा 65(1), 87 बी0एन0एस0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी, जिसकी विवेचना उ0नि0 हरेन्द्र सिंह के द्वारा सम्पादित की जा रही।

बाल अपचारी का विवरण- 01 नफ़र बाल अपचारी, उम्र करीब 14 वर्ष।

अभिरक्षा का स्थान, दिनांक व समय- ग्राम उदयपुर थाना चोलापुर कमि0 वाराणसी से, दिनांक-02.02.2025 को समय करीब 12.11 बजे।

आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0-0026/2025 धारा 137(2)/65(1)/87 बी0एन0एस0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना चोलापुर कमि0 वाराणसी।

अभिरक्षा मे लेने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1- उ0नि0 हरेन्द्र सिंह थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।
2- का0 नवजीत सरोज थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।